(124)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग 13728–II/15 सन्

अजय श्रीवास्तव (एड) द्वारा आज दि. 16-11-15 को पेश
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

01. मोहनलाल कुशवाहा तनय स्व0 श्री रामप्रसाद कुशवाहा
02. हरी उर्फ हरीशचन्द्र कुशवाहा तनय स्व0 श्री रामप्रसाद कुशवाहा
निवासीगण गोकलनबाग राजनगर तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 ....निगरानीकर्ता

बनाम

01. ग्याप्रसाद तनय श्री चुटके कुशवाहा
निवासी गोकलनबाग राजनगर
तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0
02. भगवानदास तनय स्व0 श्री रामप्रसाद कुशवाहा
02. चम्पादेवी पत्नी श्री भगवानदास कुशवाहा
03. अर्जुन तनय श्री भगवानदास कुशवाहा
04. पुष्पेन्द्र तनय श्री भगवानदास कुशवाहा
दोनो ना0बा0 बलि सरपरस्त माँ चम्पादेवी पत्नी श्री भगवानदास
05. म0प्र0 शासन ....गैरनिगरानीकर्तागण

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी हिल्स, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582-244808

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959 विरूद्व प्रकरण क्रमांक 82/अ–6–अ/2013–14 न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 द्वारा पारित अत्रिम आदेश दिनांक 12.10.2015 से परिवेदित होकर।

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–3728–दो/2015 जिला–छतरपुर

मोहनलाल कुशवाहा व अन्य विरूद्ध ग्याप्रसाद आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार राजनगर, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 82/अ–6–अ/2013–2014 में पारित आदेश दिनांक 12–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 30–10–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	